UGC APPROVED JOURNAL - 47746

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed

ISSN : 2454 – 308X | Volume : 03 , Issue : 10 | October – December 2017

श्रम संघ :उद्देश्य एवं कार्य पर एक विवेचना

डॉ० ओम प्रकाश साहु

व्याख्याता

श्रम एवं समाज कल्याण विभाग,

सीता राम साहु कॉलेज, नवादा. बिहार |

सार

'श्रमिकों के सभी प्रकार के समान हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया, श्रमिकों का संगठन श्रमिक संघ कहलाता है। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत 1850 ई. से 1870 ई. के बीच हुई थी। आद्योगिकीकरण के साथ-साथ इस क्षेत्र में अनेक बुराइयाँ, जैसे- अधिक समय तक श्रमिकों से काम लेना, कठोर श्रम, आवास की असुविधा, कम परिश्रमिक, मृत्यु दर में अधिकता आदि व्याप्त थीं। इन बुराईयों को थोड़ा बहुत कम करने के लिए ब्रिटिश भारत की सरकार ने कई कारख़ाना अधिनियम बनाये, पर इन अधिनियमों द्वारा इन क्षेत्रों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ।

मुख्य शब्द : श्रम, संघों, ब्रिटिश, भारत इत्यादि ।

प्रस्तावना

उद्योगों से संबंध श्रमिक संघों का इतिहास 200 वर्ष से अधिक का नहीं है। अधिकांश श्रमिक संघों का विकास 1750 ई०में हुए। औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है इसकी और क्रांति की अनुपस्थिति में उपस्थित रहे हैं परंतु लघु उद्योग के रूप में औद्योगिक उत्पादन की दर में परिवर्तन के साथ साथ ही परिवर्तित होता है एक लघु उद्योग इकाई का स्वामित्व एक व्यक्ति होता है 20 या 30 मजदूरों को नियोजन मिलता है कभी-कभी यह मजदूर एक ही परिवार के होते हैं इसमें संदेह नहीं है कि एकल स्वामित्व वाले उद्योगों में भी मतभेद होते हैं पर इन्हें स्वामी द्वारा सफलता से सुलझाया जा सकता है सहभागी प्रबंध से उत्पादन दर बढ़ता जाता है जबकि एकर स्वामित्व वाले प्रबंधन में इसकी संभावना नहीं रहती।

श्रम संघ प्रत्येक देश में उद्योग का एक जरूरी लक्षण माना जाता है। श्रम संघों का उदय पूँजीवाद तथा फैक्टरी सिस्टम के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था । औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्था में श्रमिक नियोक्ताओं के हाथों की कठपुतली थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं था । इसलिए श्रमिकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए आपस में हाथ मिला लिए ।

श्रम संघ को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन रूप में परिभाषित किया गया है । कुछ विद्वानों का कथन है, कि ये केवल कर्मचारियों (सेविवर्गीय) के संगठन हैं, जो उद्योग में या किसी-न-किसी प्रकार के व्यवसायों में लगे हैं, और मजदूरी पर आश्रित हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है, कि इनमें नियोक्ता संगठन मैत्री संस्थाएँ, व्यावसायिक क्लब आदि भी सम्मिलित किये जाने चाहिए ।

कार्ल मार्क्स के मत में:

"श्रम संघ सर्वप्रथम संगठन केन्द्र रहा है इसमें कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने की शक्ति है। श्रम संघ श्रमिकों की इच्छा से स्वत: विकसित हुए जिनका उद्देश्य अपने आपको 'दास' (Slave) के स्तर से ऊँचा उठाना तथा उचित अनुबन्ध-युक्त कार्य की दशाएँ उपलब्ध करना था।"

श्रम संघों के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

(1) रहन-सहन की लागत के हिसाब से श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी हासिल करवाना।

(2) कार्य करने की दशाओं में सुधार कराना, कार्य-घटे कम रखना, छुट्टियों की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा एवं मकान आदि की सुविधा की व्यवस्था करवाना।

(3) श्रमिकों को उचित बोनस दिलाना।

(4) छंटनी की समस्या को दूर कराना।

(5) औद्योगिक प्रजातंत्र सुनिश्चित कराना।

श्रम संघ के कार्य :

श्रम संघ बहुत से कार्य करता है ताकि अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(1) बचाव:

श्रम संघ श्रमिकों को नियोक्ताओं के शोषण से बचाते हैं तथा उन्हें प्रबन्ध के अनुचित व्यवहार से बचाते हैं।

(2) उचित जीवन स्तर :

श्रम संघ श्रमिकों को उचित मजदूरी दिला कर उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं, मकान सम्बन्धी सुविधाओं का भी प्रबन्ध कराते हैं।

(3) परिवेदन निवारण :

श्रम संघ प्रत्येक श्रमिक की परिवेदना को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में नियोक्ता के सामने रखते हैं तथा इनका निवारण कराते हैं।

(4) सामूहिक सौदेबाजी:

रोजगार की शर्तों का निर्धारण करने के लिए श्रम सघ मालिकों से सामूहिक सौदेबाजी करते हैं।

(5) भागीदारी:

श्रम संघ मजदूरों के हित के लिए कार्य करते हैं, इसके लिए वे उद्योग में प्रजातत्र स्थापित करते हैं।

(6) शिक्षा :

बहुत से श्रम संघ श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी करते हैं। श्रम संघ श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं।

(7) प्रतिनिधितत्व :

श्रम संघ बहुत से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि, Indian Labour Conference and International Labour Organization (ILO).

(8) सलाह :

श्रम संघ मानव संसाधन सम्बन्धी नीतियो एवं व्यवहारों से सम्बन्धित सूचना एवं सलाह प्रदान कर सकते हैं। श्रम संघ संगठन में अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

संघों के प्रकार :

छ: प्रकार के श्रम संघ

1. शुद्ध एवं तेल संघ :

इनमें सामूहिक सौदेबाजी को महत्व दिया जाता है। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है, कि मौद्रिक लाभ में वृद्धि होनी चाहिए किन्तु इसमें विभिन सिद्धान्तों एवं सूत्रों का कोई उपयोग नहीं किया जाता।

2. विकसित संघ :

ये वास्तविक मजदूरी में वृद्धि की माँग करते हैं, तथा अधिक उत्पादन में श्रमिकों के लिए लाभांश चाहते हैं।

3. प्रबन्धकीय संघ :

यह संघ लाभभागिता पर बल देते है। श्रम संघ प्रबन्ध एवं संघ व्यवस्था मूल्य निर्धारण तथा नयी औद्योगिक इकाइयों के प्रवेश पर नियन्त्रण करने के प्रयास करते हैं।

4. नये संघ :

इनमें पूर्ण नियोजन की दशाएँ प्राप्त करने के लिए सरकारी एवं राजनीतिक प्रयास किए जाते हैं, तथा विकासमान अर्थव्यवस्था में विकास के साथ सुधरी हुई अधिक दशाओं के लिए ऊँची मजदूरी की माँग की जाती है।

5. श्रम गुट संघ :

श्रम गुट संघ के अन्तर्गत राज्य पर प्रभाव डालकर सरकार के माध्यम से कार्य करवाया जाता है। किन्तु सामूहिक सुविधाओ का सहारा नहीं लिया जाता प्रगतिशील करों तथा विभिन्न योगदानों द्वारा वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाता है।

6. प्रत्यक्ष नियन्त्रण संघ :

ये संघ सरकार से अल्पकाल के लिए नियन्त्रण अपेक्षित करते हैं (जैसे मूल्य नियन्त्रण) | इस स्तर पर वर्ग हितों के लिए संसदीय स्तर पर मजदूरी, मूल्यों, दरों, राजकीय लाभों आदि समस्याओं पर विचार किया जाता है, एवं उनका निराकरण किया जाता है।

सदस्यता रचना

सदस्यता के प्रकार को लेकर भी संघ के विभिन्न रूप हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उदारहण अमेरिका के उपनिवेशों में प्रत्येक स्थानीय संघ के अंतर्गत साधारण एक ही शिल्प सदस्य रहे हैं।19वी शताब्दी के मध्य के उपरांत इसने औद्योगिक संघ का रूप धारण कर लिया, जिसके अंतर्गत विविध निपुणताओं वाले एक हो उद्योग में नियोजित मजदूरों को सदस्य बनाया गया। कोयला और लोहा, रबड़, मोटरकार उद्योगों से संबंध मजदूर इसके अंतर्गत आते हैं औद्योगिक संघ ने पूर्ण एवं अपूर्ण मजदूरों को भी शिल्पकार के रूप में स्वीकार

किया अमेरिका में अनेक प्रभावशाली संघों में से औद्योगिक संघ है अनेक पुराने शिल्प संघ ने अपने सदस्यता में छूट देते हुए शिल्पकार सदस्यों को भी अपने संघ का सदस्य बनाने की अनुमति दी है यही कारण है कि आज विशुद्ध रूप से शिल्पकार संघ देखने को नहीं मिलता श्रमिक संघ पद का प्रयोग लोकप्रिय रूप में कारों और औद्योगिक संघ दोनों के लिए किया जाता है।

उपसंहार

वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में श्रमिक संघों का दबाव समूह के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगीकरण ने श्रमिकों के जीवन एवं कार्यदशाओं के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा कर दी और श्रमिक सिर्फ शोषण का पर्याय बन गये। इसी शोषण से अपनी आजादी के लिए तथा पीड़ादायक व असहनीय कार्यदशाओं को बदलने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में कार्ल माक्र्स के अनुयायियों की संख्या बढ़ी और श्रमिकों ने आपस में एकत्र होकर श्रमिक संघों की स्थापना की शुरूआत की। भारत भी इस वैश्विक घटनाक्रम से अछूता नहीं रहा। भारत में भी औद्योगीकरण के फलस्वरूप श्रमिक संघों तथा श्रमिक आंदोलनों का जन्म हुआ, परन्तु संगठित रूप में भारत में श्रमिक संघों का गठन प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के बाद हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति तक गठित श्रमिक संघों का मूल उद्देश्य श्रमिकों की सेवा करना तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

[1] उपाध्याय, शर्मा, दयाल (2004), "व्यावसायिक वातावरण", रमेश बुक डिपो, जयपुर.

[2] शर्मा, रविश कुमार (2010) भारतीय अर्थ व्यवस्था में विदेशी पूँजी निवेश की भूमिका, इंटरनेशनल रिफर्ड रिसर्च जर्नल, वा0-2, इश्यू-15, अप्रैल 2010, पृ0 86-89.

[3] सोनी, सपना (2011) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सेवा क्षेत्र का विकास, योजना, प्रकाशन विभाग, योजना भवन, नई दिल्ली , सितंबर 2011

[4] आचार्य, शंकर (2002), इण्डिया : क्राइसेस, रिफार्म एण्ड ग्रोथ इन द नाइन्टीज, वकिग पेपर, स्टेन्फोर्ड यूनीवसिटी, नं0 139.

[5] सिंह, इन्द्रजीत, श्रमिक विधियां, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, वर्ष, 2008,

[6] सक्सेना, आर0०सी0, श्रम समस्यायें एवं समाज कल्याण के0 नाथ एण्ड कम्पनी मेरठ, वर्ष, 1997, पेज, 462--463.